न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 47/2017

विरेन्द्र कुमार - बनाम - महेन्द्र पंडित वगैरह

धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश पत्रक

23-9-17

अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी जमुवा थाना से प्राप्त प्रतिवेदन पर सुनवायी करते हुए शांति-व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को देखते हुए प्रश्नगत भूमि पर दं० प्र० सं० की धारा 144 के तहत उभय पक्षों के लिए निषेधाज्ञा लगायी गयी तथा कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

विवादित भूमि निम्न है :-

मौजा	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
महतपुर	04	315	17 1/4 डी० के मध्ये 8 5/8 डी०

चौहदी :- उ० - धनेसर पंडित पिता स्व० मंगर पंडित का मकान एवं खाली प्लॉट। द० - नीज। पु० - ग्रामीण पी० सी० सी० सड़क। प० - कपिल देव सोनार पिता स्व० मेघन सोनार का खाली प्लॉट नं० 314

दोनो पक्षों के ओर से लिखित जवाब एवं कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है, जिसमें दोनो पक्षों का कथन लिखित बहस में अंकित है।

दोनो पक्षों के ओर से केवाला की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि को प्रथम पक्ष के द्वारा द्वितीय पक्ष के महेन्द्र पंडित की पत्नी दुनवा देवी से निबंधित केवाला सं० 2274 दिनांक 18-4-1994 को खरीद किये है।

केवाला में वर्णित चौहदी के अनुसार प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भूमि का मापी कराने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आलोक में मामले का निष्पादन

P.T.O

भूमि मापी से संभव हो सकता है। इसके लिए पक्षकार जमीन मापी हेतु अंचल कार्यालय गावां में आवेदन दें। उक्त संदर्भ में अंचल अधिकारी नियमानुकूल अमीन प्रतिनियुक्त करें।

लगायी गयी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है इसलिए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनुमण्डल पदाधिकारी
खोरी महुआ।

अनु० पदा०